उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालयः हल्द्वानी

कुलसचिव कार्यालय

संख्याःआर०/वि0प0//2010/218

दिनांक: अक्टूबर 14, 2010
08/11

समस्त सदस्यगण,
विद्या परिषद,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

महोदय,

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 08.10.2010 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि यदि बैठक के कार्यवृत्त में कोई बिन्दु उल्लिखित होने से रह गया हो अथवा किसी बिन्दु के कार्यवृत्त पर सहमति न हो तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें ताकि आगामी बैठक में कार्यवृत्त के पुष्टि के समय आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सादर,

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

कुलसचिव 14/X/10

उपर्युक्त की प्रतिलिपि कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2010 का कार्यवृत्त-

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. डा0 विनय कुमार पाठक, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, एक्जक्यूटिव डायरेक्टर (परीक्षा) व डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली — सदस्य
3. प्रोफेसर जे0एस0पी0 राय, विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एच0बी0टी0आई0, कानपुर — सदस्य
4. प्रोफेसर जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा — सदस्य
5. प्रोफेसर अजय रावत, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा — सदस्य
6. प्रोफेसर नेमपाल सिंह, निदेशक, कृषि,विज्ञान एवं स्वास्थ्य वि0शाखा — सदस्य
7. प्रोफेसर अनिल बिष्ट, आचार्य अंगेजी — सदस्य
8. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबंधन/कुलसचिव — सचिव

विशेष आमंत्री

1. श्री पी0सी0 पपनै, परामर्शदाता
2. श्री एन0सी0 पाण्डेय, परामर्शदाता

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव द्वारा कुलपति महोदय एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों में विद्या परिषद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अनुरोध किया कि विद्या परिषद शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का मेरूदण्ड है। अतः परिषद के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर उपस्थित विद्वत् जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं मार्गदर्शन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के निर्धारण एवं संचालन में महती महत्व के सिद्ध होंगें।

अपने प्रारिम्भिक उद्बोधन में अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित सदस्यगणों से अपेक्षा की कि यद्यपि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हो चुकी थी परन्तु विश्वविद्यालय विद्या परिषद की प्रथम बैठक मार्च 2010 में सम्पन्न की गई अर्थात् वास्तविक रूप से शैक्षणिक कार्यकलापों पर विधिवत् प्रथमवार मार्च 2010 में कार्यवाही आरम्भ हुई। अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों में डा0 पोखरियाल एवं डा राय द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए अवगत कराया कि डा0 पोखरियाल का शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है जबकि डा0 राय वोकेशनल ऐजुकेशन के क्षेत्र में प्रभावी व्यक्तित्व हैं। तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार आरम्भ हुआ।

प्रस्ताव संख्या 2.01- विद्या परिषद की दिनांक 29 मार्च 2010 को सम्पन्न हुई प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

परिषद द्वारा प्रथम बैठक दिनांक 09 अप्रैल 2010 के कार्यवृत्त, यथा परिचालित, की पुष्टि की।

प्रस्ताव संख्या 2.02- विद्या परिषद की दिनांक 29 मार्च 2010 को सम्पन्न प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना

परिषद ने कृत कार्यवाही का अवलोकन किया तथा उस पर सन्तोष व्यक्त किया।

प्रस्ताव संख्या 2.03- मान्यता बोर्ड की दिनांक 10.05.2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों पर विद्या परिषद का अनुमोदन

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया कि मान्यता बोर्ड की बैठक दिनांक 10.05.2010 को अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 2.04- विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-11 से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान यह मत व्यक्त किया गया कि नये पाठ्यक्रम संचालित करने एवं उनकी संरचना के समय इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाय कि क्या वह पाठ्यक्रम रोजगारपरक सिद्ध होगा। प्रोफेसर पोखरियाल ने मत व्यक्त किया कि पाठ्यक्रमों को दो स्थूल भागों यथा पारम्परिक एवं बौद्धिक विकास में बॉटा जा सकता है। पारम्परिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विश्वविद्यालय भी पाठ्यक्रम संचालित कर रहें हैं अतः उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पारम्परिक विषयों में छात्रों का रूझान तभी सम्भव होगा जब उसमें गुणवत्ता एवं विशिष्टिता हो जबकि बौद्धिक विकास सम्बन्धी पाठ्यक्रमों, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार निर्मित करेगा, अपने आप में नवीनता लिए होने के साथ-साथ रोजगार प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होंगें। उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया कि सी0आई0आई0, फिक्की तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं से सम्पर्क कर वर्तमान की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम संचालित किये जाने लाभकारी होंगें। प्रोफेसर पोखरियाल द्वारा भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर पहल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस दिशा में कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है जिसमें टाटा मोटर्स एवं स्मार्ट स्किल्स के साथ गठजोड़ उल्लेखनीय है जहॉ दो माह के शिक्षण के बाद चार माह के कार्यशाला कार्य, जो टाटा मोटर्स के वर्कशाप में जहॉ छात्रा को 3000/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, पूर्ण करने पर रोजगार की

गारन्टी भी है। कुलसचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुमाऊँ एवं गढ़वाल चेम्बर ऑफ कामर्स तथा अन्य संगठनों से भी उनकी आवश्यकतानुसार कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है।

विचारोपरान्त पारित किया गया कि परिषद के समक्ष प्रस्तुत निम्न पाठ्यक्रमों पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

विद्या शाखा का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	संलग्नक	संचालित पाठ्यक्रम
प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य	1. मास्टर ऑफ कॉमर्स	एक	प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा/ स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
	2. बैचलर ऑफ कॉमर्स	दो	
	3. विक्रय कला एवं विपणन में प्रमाण-पत्र	तीन	
	4. कार्यालय प्रबंध में प्रमाण-पत्र	चार	
	5. मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा	पॉच	
	6. हयूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा	छः	
	7. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	सात	
	8. बी0बी0ए0	आठ	
मानविकी	1. एम0ए0 अर्थशास्त्र	नौ	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
	2. एम0ए0 हिन्दी	दस	
	3. एम0ए0 अंग्रेजी	ग्यारह	
	4. पत्रकारिता एवं जनसंचार में पी0जी0 डिप्लोमा	बारह	
समाज विज्ञान	1. स्नातकोत्तर लोक प्रशासन	तेरह	प्रमाण-पत्र/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
	2. स्नातकोत्तर इतिहास	चौदह	
	3. स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान	पन्द्रह	
	4. स्नातकोत्तर सामाजिक कार्य	सौलह	
	5. स्नातकोत्तर समाजशास्त्र	सत्रह	
	6. पंचायती राज में प्राथमिक जानकारी	अट्ठारह	
	7. पंचायती राज में प्रमाण-पत्र	उन्नीस	
	8. वैदिक कर्मकाण्ड में प्रमाण-पत्र	बीस	
	9. भारतीय ज्योतिष में प्रमाण-पत्र	इक्कीस	
शिक्षाशास्त्र	1. स्नातकोत्तर शिक्षाशास्त्र	बाईस	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल प्रबंध	1. आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में स्नातक	तेइस	डिप्लोमा/ स्नातक पाठ्यक्रम
	2. टूअर गाइडिंग एवं एस्कोर्टिंग स्किल में डिप्लोमा	चौबीस	
	3. वैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट	पच्चीस	
	4. टूरिज्म स्टडी में डिप्लोमा	छब्बीस	
	5. फ्रंट आफिस में डिप्लोमा	सत्ताईस	

कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1. मास्टर ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी 2. बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	अट्ठाईस उन्तीस	प्रमाण-पत्र/ स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
कृषि	1. कॉमर्शियल हॉर्टीकल्चर डिप्लोमा	तीस	डिप्लोमा पाठ्यक्रम
विज्ञान	1. मैनेजमेंट ऑफ नान वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिप्लोमा 2. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा 3. आपदा प्रबंधन में पी जी डिप्लोमा 4. मौसम परिवर्तन एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी में प्रमाण पत्र 5. सामाजिक वानिकी में प्रमाण पत्र 6. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रभाव में डिप्लोमा	इकत्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस	प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम
स्वास्थ्य विज्ञान	1. जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण 2. प्रमाण पत्र- आयुर्वेदिक ब्यूटी केयर 3. डिप्लोमा- पंचकर्म 4. प्रमाण पत्र- आयुर्वेदिक मसाज 5. प्रमाण पत्र- आयुर्वेदिक आहार एवं पोषण 6. प्रमाण पत्र- आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी उत्पादन 7. योग व प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा 8. योग विज्ञान में प्रमाण पत्र 9. प्राकृतिक चिकित्सा में प्रमाण पत्र	सैंतीस अड़तीस उनतालिस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौंवालीस पैंतालीस	प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम

यह भी पारित किया गया कि संलग्नक 'क' पर उल्लिखित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रश्न-पत्र, पाठ्यक्रम, प्रवेश अर्हता, न्यूनतम अवधि, अधिकतम अवधि एवं उनके लिए बाह्य संस्थाओं से अंगीकृत एवं स्वनिर्मित पाठ्यक्रम पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय भविष्य में यथा सम्भव अपना पाठ्यक्रम बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत मिलिट्री साइन्स में प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की भी स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि पाठ्यक्रम का अनुमोदन विद्या परिषद से करा लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.05- परीक्षा समिति की दिनांक 1.10.2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों पर विद्या परिषद का अनुमोदन

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा संचालन हेतु विनिर्मित नियमावली पर परिषद अपनी सहमति व्यक्त करती है जिस पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.06- विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव विचार-विमर्श किया गया तथा पारित किया की प्रवेश नियमावली पर सहमति व्यक्त की जाती है। परिषद द्वारा नियमावली पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने का सुझाव दिया।

प्रस्ताव संख्या 2.07- विद्या शाखाओं की इकाईयों के पुर्नगठन पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त पारित किया गया कि विद्या शाखाओं के निम्नवत् पुनर्गठन पर सहमति व्यक्त की जाती है:-

विद्या शाखा का नाम	वर्तमान में सम्मिलित इकाईयॉ	पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव
मानविकी	संस्कृत और प्राकृत भाषा, हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्राच्य विद्या, पत्रकारिता एवं जनसंचार, उर्दू, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संगीत, नाटक, लोकगीत, नृत्य एवं कला
समाज विज्ञान	राजनीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास, समाज विज्ञान, समाज कार्य एवं लोक प्रशासन	राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, समाज कार्य, लोक प्रशासन, भूगोल, विधि, भारतीय ज्योतिष, कर्मकाण्ड, अर्थशास्त्र
प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य	वाणिज्य, प्योर एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स(विशुद्ध एवं व्यावहारिक अर्थशास्त्र), व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण एवं लेखाशास्त्र	वाणिज्य, प्रबन्ध अध्ययन एवं रोजगारपरक अध्ययन* *रोजगारपरक अध्ययन विभाग की गतिविधियों के लिए अन्य विभागों से भी सामन्जस्य रखा जायेगा।
विज्ञान	रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, वानिकी, प्राणि विज्ञान, भूगोल	रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, वानिकी, प्राणि विज्ञान एवं भूगोल
कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान	कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी	कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
भाषा विज्ञान	-	संस्कृत और प्राकृत भाषा, हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं,

		अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, प्राच्य विद्या, उर्दू
पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एवं खाद्य प्रौद्योगिकी
कृषि	-	उद्यान विज्ञान, पुष्प विज्ञान, वानिकी
ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान	-	आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, खाद्य एवं पोषण, योग, आयुष, पर्यावरण विज्ञान
शिक्षाशास्त्र	-	शिक्षाशास्त्र

यह भी पारित किया गया कि पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.08- विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि योजना बोर्ड की संस्तुति के आलोक में प्रकरण पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.09- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून 2010 के आलोक में शैक्षणिक पदों पर चयन में अपनायी जाने वाली नीति पर विचार।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। प्रोफेसर पोखरियाल द्वारा मत व्यक्त किया गया कि यह देख लिया जाय कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गजट में प्रकाशित अर्हताओं एवं अन्य शर्तो का परिपालन हो रहा है। अन्य सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद शैक्षणिक मामलों में उच्चस्थ स्थान रखती है तथा उसका यह दायित्व है कि शैक्षणिक पदों की अर्हता एवं चयन प्रक्रिया इस तरह की हो कि चयनित प्राध्यापक विषय/विभाग की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो। विचारोपरान्त पारित किया गया कि प्रवक्ता/सहायक प्राध्यापक एवं समकक्ष, उपाचार्य/सह प्राध्यापक अथवा समकक्ष तथा आचार्य/प्राध्यापक अथवा समकक्ष के चयन के लिए प्रस्तावित अंको का निर्धारण निम्नवत् रखे जाने पर सहमति प्रदान की जाती है:-

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।

1.2 दिनांक 31/05/2009 के उपरान्त पी–एच0डी0 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता यथावत लागू होगी।

1.3 उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के कार्य–क्षेत्र विषयक ज्ञान एवं बौद्धिक–स्तर के आंकलन के लिये निर्धारित माप दण्डों को निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धियों तथा शोध कार्य के लिये 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 50 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:

i) शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 30 प्रतिशत अंक रहेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

• स्नातक स्तर	– 5 प्रतिशत।
• परास्नातक स्तर	– 5 प्रतिशत।
• नेट (NET/SLET)	– 6 प्रतिशत।
• एम. फिल. (M.Phil)	– 5 प्रतिशत।
• पी–एच0डी0 (P.hd)	– 9 प्रतिशत।
योग	**– 30 प्रतिशत**

ii) शोध कार्यों के लिये उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये गये विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:

- राज्य–स्तरीय/राष्ट्रीय संस्था से स्वीकृत एवं वित्त पोषित शोध–परियोजना में शोध–अध्येता (आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।
- शोध–पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :
  - एक शोध–पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।
  - दो से तीन शोध–पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।
  - चार तथा चार से अधिक शोध–पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

विशेष टिप्पणी : केवल उन्ही शोध–पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो संदर्भित (Refereed) जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की Screening Committee के द्वारा किया जायेगा। Articles, Book-Reviews तथा Study Material को भी Screening Committee के द्वारा उपयुक्त weightage दिया जायेगा।

यदि शोध–पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंको को तद्नुरूप विभाजित कर दिया जायेगा।

ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा;

i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की Screening Committee के द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेषः इस प्रकार उपर्युक्त 'क', 'ख' तथा 'ग' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इस हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अंक विभाजन का विवरण दिया गया है।

2) सह–प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये

2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः

• स्नातक स्तर	– 7 प्रतिशत।
• परास्नातक स्तर	– 8 प्रतिशत।
• पी0डी0एफ0 / कार्य अनुभव	– 5 प्रतिशत।
योग	**– 20 प्रतिशत**

2.2 शोध कार्यो एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये API को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक निर्धारित है, अर्थात API का अंश केवल 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

2.3 विषय का ज्ञान तथा अध्ययन–अध्यापन क्षमताओं के आकलन के लिये जो 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं उनका विभाजन निम्नवत होगा –

i) परिसर के विभिन्न कार्यो, दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।

ii) Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणीः परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं Demo Lecture के लिये संबंधित विभाग की Screening Committee द्वारा अंक प्रदान किये जायेगे।

3) प्राध्यापक / आचार्य पद के लिये

3.1 प्राध्यापक पद के लिये 400 API अंक निर्धारित किये गये है जो यथावत रहेंगे किन्तु चयन समिति की प्रक्रिया में निर्धारित 100 अंकों का विभाजन निम्नवत होगाः–

i) शैक्षिक उपलब्धियों के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है इनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:

- स्नातक स्तर — 7 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर — 8 प्रतिशत।
- पी0डी0एफ0 / नेशनल फेलोशिप — 3 प्रतिशत।
- डी0 लिट0 — 2 प्रतिशत।

योग — 20 प्रतिशत

ii) शोध कार्यों इत्यादि के लिये API लिया जायेगा जिसके लिये 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

iii) विषय का ज्ञान, अध्ययन–अध्यापन क्षमताओं के आकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:

- परिसर के विभिन्न कार्यो दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
- Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

*विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं **Demo Lecture** के लिये संबंधित विभाग की **Screening Committee** द्वारा अंक प्रदान किये जायेगे।*

प्रस्ताव संख्या 2.10- विश्वविद्यालय के लिये कुछ नये प्रकोष्ठों एवं अनुभागों की स्थापना पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि योजना बोर्ड की संस्तुति के आलोक में विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक अनुभागों एवं प्रकोष्ठों के गठन हेतु कार्य परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.11- क्रेडिट ट्रान्सफर एवं लेटरल इन्ट्री के माध्यम से प्रवेश पर विचार एवं अनुमोदन

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि क्रेडिट ट्रान्सफर एवं लेटरल इन्ट्री के लिए समिति की निम्न संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

The Academic Council in its first meeting held on 29.03.2010 constituted a committee to recommend transfer of credit from other education organization for lateral Entry. The Committee consisted Dr. Ajay Rawat, Dr. J.K. Joshi and Dr. K. K. Pandey.

The committee took up the issue for consideration and is of the view that there can be following two categories for transfer of credit and lateral entry:-

1. Cases of candidates willing to resume studies of any diploma, Bachelors and Post-graduate degree/diploma programme in its second and subsequent year.
2. Cases of candidates who have undergone certificate or diploma course of the University and take admission in Diploma or degree or post-graduate degree programme of the University after completion of first programme.

For both the categories, the cases will have to be examined by a committee to be constituted for the purpose. In respect of category 1 above, the committee will go through the course contents already studied by the candidate in earlier institution or programme of the University and in case 80 percent of the course contents of previous institution/degree programme are identical to the course contents of Uttarakhand Open University for the concerned programme, the candidate can be allowed admission in the relevant year and will be considered having completed the credits prescribed for the year(s) which he/she completed in the previous institution/programme.

For cases of the candidates of the UOU, seeking admission in higher programme of the University, exemption for the courses which the candidate has already studied and passed in the earlier programme of the University can be exempted to studied the course again provided the syllabus of the course is the same. In the event of exemption, the student concerned will be considered having completed all the subjects prescribed for the degree programme. In other words, the total requirements prescribed for the programme to which admission is being sought will get reduced to the extent the exemption is granted.

In case a candidate has already studied the courses identical to courses prescribed for first year of the Diploma/Degree Programme and the committee constituted by the Vice-Chancellor is satisfied that the concerned candidate has undergone the courses equivalent to the courses prescribed for first year, the candidate can directly be admitted to the second year of the Degree/Diploma programme. In such cases the minimum duration of the Degree Programme will be allowed to be reduced accordingly".

प्रस्ताव संख्या 2.12- देहरादून में विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि देहरादून में विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने तथा उस निमित्त निम्न पर सहमति व्यक्त की जाती है:-

1. रू0 25000/- मासिक व्यय के आधार पर भवन किराये पर लिया जाना।
2. परिसर हेतु निम्न पदों का सृजन:-

1. निदेशक (आचार्य स्तर)	- 1
2. उपनिदेशक (उपाचार्य स्तर)	- 1
3. सहायक निदेशक (प्रवक्ता स्तर)	- 1
4. अकादमिक परामर्शदाता (संबंधित विषय में)	- 3
5. सहायक कुलसचिव/विशेष कार्याधिकारी	- 1
6. वरिष्ठ सहायक	- 2
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर	- 1
8. अनुसेवक	- 2
9. स्वच्छक	- 1

उपर्युक्त में से प्रथम चरण में न्यूनतम सुविधाओं के साथ देहरादून परिसर का कार्य प्रारम्भ करने हेतु वांछित पद:-

1. निदेशक	- 1
2. प्रवक्ता	- 1
3. अकादमिक परामर्शदाता	- 3 (उपाचार्य स्तर-1 प्रवक्ता स्तर- 2)
4. वरिष्ठ सहायक	- 1
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर	- 1
6. अनुसेवक	- 1
7. स्वच्छक	- 1

यह भी पारित किया गया कि चूंकि परिसर हेतु पदों के सृजन भी किया जाना है अत: इस निमित्त वित्त समिति एवं कार्य परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.13 इण्डिसुनालेज कारपोरेशन के साथ एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा एक कार्यक्रम चलाये जाने तथा इस निमित्त अनुबन्ध करने पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों द्वारा चल वाहन की व्यवस्था से शैक्षणिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए मत व्यक्त किया कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं उपादेयता पर विचार करने हेतु एक समिति, जिसमें प्रोफेसर जे0के0 जोशी, प्रोफेसर अजय रावत, प्रोफेसर दुर्गेश पंत होंगें, का गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति कार्यक्रमों की रूपरेखा, स्वरूप, कार्यक्रम के प्रति अभ्यर्थियों के रूझान, व्यय भार का आंकलन, कार्यक्रम संचालन किये जाने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण आदि कर अपनी संस्तुति कुलपति को प्रस्तुत करेगी। यह भी मत व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के गठजोड़ किये जाने की दशा में पाठ्यक्रमों का परिवेक्षण, गुणवत्ता एवं निरन्तरता हेतु आई0सी0टी0 के माध्यम से निगरानी की जानी होगी। साथ ही जिन विषयों में प्रयोगात्मक कार्य हों उनके लिए वांछित सुविधायें चल वाहन में उपलब्ध हों। सदस्यों द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि अनुबन्ध कम से कम एक वर्ष के लिए किया जाय तथा एक से अधिक वाहन यदि आवश्यक हों तो उपलब्ध करायें जाय।

विचारोपरान्त पारित किया गया कि प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की जाती है, तथा **MOU** कर लिया जाय, परन्तु इस प्रकरण पर अमल तभी किया जाय जब समिति की संस्तुति प्राप्त हो जाय। गठित समिति विलम्बत: अपनी संस्तुति 15 नवम्बर 2010 तक प्रस्तुत करें जिस पर कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 2.14- विश्वविद्यालय परीक्षाफल घोषित करने की नीति पर विचार एवं सहमति।

परीक्षा समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि कुलपति को परीक्षाफल घोषित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 2.15- परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर दण्ड निर्धारण की प्रक्रिया पर अनुमोदन।

परीक्षा समिति की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श के उपरान्त पारित किया गया कि अनुचित साधनों के प्रयोग करते पाये जाने पर दण्ड निर्धारण की निम्न व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की जाती है:-

"1. यदि किसी परिक्षार्थी द्वारा अपने हाथ में कुछ लिखा गया हो अथवा उसके पास से कोई चिट अथवा लिखित वस्तु कक्ष निरीक्षक अथवा केन्द्राध्यक्ष अथवा उडन दस्ते द्वारा पकड़ी जाती है जो उस परीक्षा प्रश्न पत्र से सम्बन्धित न हो तो ऐसे परीक्षार्थी को उस विषय की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने की चेष्टा का दोषी मानते हुए उस विषय की परीक्षा रद्द की जायगी।

2. यदि किसी परिक्षार्थी द्वारा अपने हाथ में कुछ लिखा गया हो अथवा उसके पास से कोई चिट अथवा लिखित वस्तु कक्ष निरीक्षक अथवा केन्द्राध्यक्ष अथवा उडन दस्ते द्वारा पकड़ी जाती है तथा वह उस प्रश्न पत्र से संबंधित है तो ऐसे परीक्षार्थी की उस वर्ष की समस्त परीक्षाए रद्द कर दी जायेगी।

3. यदि किसी परिक्षार्थी द्वारा अपने हाथ में कुछ लिखा गया हो अथवा उसके पास से कोई चिट अथवा लिखित वस्तु कक्ष निरीक्षक अथवा केन्द्राध्यक्ष अथवा उडन दस्ते द्वारा पकड़ी जाती है तथा परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक अथवा जॉच दल से दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे परीक्षार्थी की उस वर्ष की परीक्षा रद्द करने के अतिरिक्त उसे आगामी दो वर्षो तक विश्वविद्यालय प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा।

4. बिन्दु संख्या 4 से अधिक संगीन अपराध के दोषी पाये जाने वाले परीक्षार्थी को उस वर्ष/सेमिस्टर का परीक्षाफल निरस्त करने के साथ ही उसे विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से निष्कासित तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं से सदा के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

5. यदि परीक्षार्थी एक ही वर्ष/सेमिस्टर की परीक्षा में एक से अधिक बार अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत पकड़ा जाता है तो उसका उस वर्ष/सेमिस्टर का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे आगामी दो वर्षो/चार सेमिस्टरों के लिये परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा।

6. ऐसे समस्त पाठ्यक्रमोंए जिनमें उत्तीर्ण होने के लिये परीक्षार्थी को सैद्धन्तिक एवं प्रयोगिक विषयों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और/अथवा जिनमें उत्तीर्ण परीक्षाओं की श्रेणी (डिवीजन) का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक विषयों में पृथक-पृथक निर्धारण किये जाने की व्यवस्था हैए में किसी परीक्षार्थी के सैद्धान्तिक परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत पकड़े जाने पर उसका केवल सैद्धान्तिक विषयों का

परीक्षाफल ही निरस्त किया जायेगा। यही नियम प्रयोगिक विषय परीक्षा में अनुचित साधन पकड़े जाने पर भी लागू होगा। ऐसे परीक्षार्थ के संबंध में अन्य शास्तियों का यथायोग्य निर्धारण इस नियमावली के अन्य नियमों के अधीन किया जायेगा।

7. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई दूरसंचार उपकरण रखने अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी के पास से मोबाइल फोन अथवा दूरसंचार उपकरण पकड़े जाने पर:-

   अ. यदि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा अवधि में मोबाइल फोन प्रयोग करने का कोई प्रमाण न हो तो परीक्षार्थी का उस वर्ष/सेमिस्टर का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा।

   ब. यदि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा अवधि में मोबाइल फोन प्रयोग करने का कोई प्रमाण हो तो प्रश्न पत्र हल करने में मोबाइल फोन के उपयोग की उपधारण की जायेगी **(Shall be presumed)** तथा परीक्षार्थी का उस वर्ष/सेमिस्टर का परीक्षाफल निरस्त करते हुये उसे आगामी एक वर्ष/दो सेमिस्टर की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा।

8. उन विषयों/प्रश्नपत्रों जिनकी परीक्षाओं में विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य हैए के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा में केलकुलेटर अथवा कोई अन्य संगणना उपकरण परीक्षार्थी के पास से पकड़े जाने पर -

   अ. यदि प्रश्न पत्र में संगणना से संबंधित/आधारित प्रश्न हो किन्तु विद्यार्थी ने उनका उत्तर लिखना आरम्भ न किया हो तो परीक्षार्थी का उस वर्ष/सेमिस्टर का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा।

   ब. यदि परीक्षार्थी ने संगणना संबंधित/आधारित प्रश्न का उत्तर लिखना आरंभ कर दिया हो तो प्रश्न हल करने में कैलकुलेटर संगणना उपकरण के प्रयोग की उपधारणा की जायेगी **(Shall be presumed)** तथा परीक्षार्थी का उस वर्ष/सेमिस्टर का परीक्षाफल निरस्त करते हुए उसे आगामी एक वर्ष/दो सेमिस्टरों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

9. उपरोक्त अनुच्छेदों के अन्तर्गत आने वाले अनुचित साधन प्रयोगए अभद्र व्यवहार तथा अनुशासनहीनता के मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रसंग के गुणावगुणों के आधार पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। विश्वविद्यालय की वैधानिक समिति द्वारा उस वर्ष/सेमिस्टर की परीक्षाओं की समाप्ति के उपरानत अनिवार्यतः अगले तीन माह के भीतर उपरोक्त प्रकार से समुचित निर्णय कर दिया जायेगा।

10. उपर्युक्त सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।"

यह भी पारित किया गया कि उक्त संस्तुतियों पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.16- विश्वविद्यालय परीक्षा में कृपांक की व्यवस्था पर विचार एवं निर्णय।

विचारोपरान्त पारित किया गया कि परीक्षा समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा इस निमित्त गठित समिति की संस्तुतियों पर निर्णय हेतु

कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 2.17- विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 में स्थापित अध्ययन केन्द्रों से परिषद को अवगत कराना।

परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया तथा विश्वविद्यालय के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

यह पारित किया गया कि मोबाइल स्टेडी सेन्टर स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 2.18- शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा के अन्तर्गत नये शिक्षक प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने पर विचार एवं सहमति।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्र वर्ष 2011-12 से सम्मिलित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 2.19- विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में शोध उपाधि प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार एवं सहमति।

परिषद के समक्ष प्रस्तुत निम्न समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. प्रोफेसर जे0के0 जोशी
2. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र
3. प्रोफेसर एन0पी0 सिंह

प्रस्ताव संख्या 2.20- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड़ (MOU) से परिषद को अवगत कराना।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि जिन संस्थानों के साथ गठजोड़ किया गया है उनमें अध्ययनरत छात्रों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री एवं परीक्षा संचालन/परीक्षाफल की घोषणा आदि पर विचार हेतु एक समिति, जिसमें प्रोफेसर एन0पी0सिंह, प्रोफेसर जे0के0 जोशी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत एवं परीक्षा नियंत्रक होंगें, गठित की जाती है जो अपनी संस्तुति कुलपति को प्रस्तुत करेगी। समिति की संस्तुति पर निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 2.21- वर्ष 2009-2010 तथा इससे पूर्व वर्षो के पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार।

प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2.22- विद्या परिषद में शिक्षा क्षेत्र के पॉच व्यक्तियों को सहयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य प्रस्ताव:

1. विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि प्रदान किये जाने हेतु अर्हता निर्धारण एवं उनका प्रारूप।

परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं उपाधि पत्र के प्रारूपों (संलग्नक क, ख, ग) पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी पारित किया गया कि छद्म प्रमाण-पत्रों से बचाव के लिए फारमेट में ऐसी व्यवस्था की जाय कि उसका दुरूपयोग न किया जा सके। यह भी मत व्यक्त किया गया कि छात्रों के समस्त अभिलेखों का डाटावेस तैयार कर लिया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित द्वारा उसकी पड़ताल की जा सके। इस कार्य हेतु प्राफेसर दुर्गेश पंत तथा श्री राजीव टंडन की समिति गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जो अपनी संस्तुति कुलपति को प्रस्तुत करेंगें।

2. उर्दू के माध्यम से बी0एड0 शिक्षण केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति कार्यालय से प्राप्त पत्र पर विचार।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि अन्य मुक्त विश्वविद्यालय, जहॉ उर्दू में बी0एड0 पाठ्यक्रम चल रहें हों, समन्वय स्थापित कर बी0एड0 आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी पारित किया गया कि संस्कृत विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों के गठजोड़ के लिए प्रयास किये जाय।

बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विचारो/सुझावों हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करने के उपरान्त समाप्त हुई।

सचिव
विद्या परिषद 14/X/'10